इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2018—वैशाख 21, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 333-2018-सात-4बी भोपाल, दिनांक 4 मई 2018

प्रस्तावित प्रारूप
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग-1
अध्याय-1 का खण्ड-1

(पटवारियों की नियुक्ति, योग्यताएं तथा दण्ड संबंधी हिदायतें)

1. **योग्यता एवं चयन प्रक्रिया.**—जिले में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकि) सेवा भर्ती नियम, 2012 यथा समय-समय पर जारी संशोधित के अनुसार की जाएगी.

2. **आरक्षण रोस्टर.**—पटवारी की स्थापना से संबंधित जिला स्तर की रिक्तियों एवं आरक्षण रोस्टर की जानकारी शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों के अनुसार संबंधित जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा संधारित की जाएगी.

3. **नियुक्ति.**—कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर काउंसलिंग के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, की धारा 104(2) समय-समय पर यथासंशोधित में निहित प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे. किसी भी चयनित उम्मीदवार की पटवारी के पद पर पदस्थापना उसकी गृह तहसील में नहीं की जाएगी.

4. **आचरण नियम.**—मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के सिविल सेवा संबंधी आचरण के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 यथासमय संशोधनों सहित पटवारी के संबंध में भी लागू होंगे.

5. **स्थानांतरण.**—किसी पटवारी का एक तहसील से दूसरी तहसील में तथा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के तहत किया जायेगा. पटवारी की तहसील में प्रथम स्थापना के समय एवं समय-समय पर उसके हल्के के प्रभार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन उपखंडीय अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा.

6. **अवकाश.**—मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के लिए मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977 ऐसे संशोधनों सहित, जो इसमें समय-समय पर किए जाए, पटवारियों के अवकाश के संबंध में भी लागू होंगे.

7. **अनुशासनिक कार्यवाही.**—मध्यप्रदेश में अधीनस्थ सेवाओं के शासकीय सेवकों के दण्ड का विनियमन करने वाले मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत ऐसे संशोधनों सहित, जो इसमें समय-समय पर किए जाएं, पटवारियों के दण्ड निलंबन तथा पदच्युति का विनियमन करेंगे. पटवारी के विरुद्ध लघु शासित की कार्यवाही के लिए तहसीलदार एवं दीर्घ शासित की कार्यवाही के मामले में उपखंडीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा.

8. **अनुकम्पा नियुक्ति.**—पटवारी की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके वारिसान को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी तथा अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम निर्देशों के अनुरूप की जावेगी. यदि मृत पटवारी के वारिसान को पटवारी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है और वह प्रशिक्षण उपरान्त विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे पात्रता अनुसार रिक्त अन्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है.

9. **वरिष्ठता निर्धारण एवं पदस्थापना.**—अध्याय दो में उल्लेखित प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य द्वारा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की मैरिट सूची तैयार की जाकर जिला कलेक्टर को पदस्थापना हेतु उपलब्ध कराई जाएगी. परीक्षार्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने एवं उत्तीर्ण होने के एक अवसर के आधार पर प्राप्तांकों की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी तथा दूसरे अवसर पर परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की वरिष्ठता प्रथम अवसर पर उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों से कनिष्ठ मानी जाएगी.

प्रशिक्षण प्राप्त उत्तीर्ण पटवारियों की सूची प्रशिक्षण केन्द्र से प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर पद रिक्ति एवं कार्य की आवश्यकता के अनुरूप तहसीलों में उनकी पदस्थापना करेगा. इस विषय में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा.

10. **पदोन्नति.**—पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियत निर्देशों के अनुसार की जाएगी.

अध्याय-1 का खण्ड 2
(परिवीक्षा एवं स्थायीकरण)

1. **प्रशिक्षण.**—पटवारी पद पर चयन उपरान्त जिला कलेक्टर से प्राप्त सूची अनुसार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संबंधित को नियत पटवारी प्रशिक्षण शाला में उपस्थित होकर अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी नियुक्ति आदेश प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति दिनांक से प्रभावी होगा. प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय के भीतर उपस्थित न होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा.

2. **परिवीक्षा अवधि.**—पटवारी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन नियुक्ति की जाएगी तथा परिवीक्षा अवधि की गणना नियुक्ति उपरान्त नियत प्रशिक्षण शाला में उपस्थिति दिनांक से प्रारंभ की जाएगी.

3. **स्थायीकरण.**—पटवारी पद पर स्थायीकरण दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति होने के उपरान्त किया जाएगा.

1. अध्याय दो में नियत प्रशिक्षण प्राप्त कर नियत समस्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर.

2. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर.

4. **परिवीक्षा अवधि में वृद्धि.**—पटवारी की परिवीक्षा अवधि में अधिकतम 01 वर्ष की वृद्धि आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा मूलभूत नियमों के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त कारणों के आधार पर की जा सकेगी.

प्रस्तावित प्रारूप
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली
भाग-1 अध्याय-2
(पटवारी प्रशिक्षण एवं परीक्षा)

1. **प्रशिक्षण केन्द्र.**—आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त चयनित नवनियुक्त पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण शालाएं खोल सकेगा. आवश्यक होने पर किसी भी जिले अथवा तहसील में किसी भी स्थान पर अस्थाई रूप से भी प्रशिक्षण शाला खोलकर प्रशिक्षण कराया जा सकेगा. चयनित नवनियुक्त प्रत्येक पटवारी के इस प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर इस अध्याय के उपबंधों में वर्णित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. **प्रशिक्षण अवधि एवं कार्ययोजना.**—प्रशिक्षण की अवधि अनुसूची 1 अनुसार होगी. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त के द्वारा यथासमय आवश्यकतानुसार सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण अवधि तथा परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा.

3. **सैद्धांतिक प्रशिक्षण.**—पटवारी पद हेतु सैद्धांतिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अनुसूची 2 के अनुसार होगा इस पाठ्यक्रम में यथासमय परिवर्तन आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा किया जा सकेगा.

4. **व्यावहारिक प्रशिक्षण.**—पटवारी पद हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अनुसूची 3 के अनुसार नियत होगा जिसमें यथासमय आवश्यक होने पर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा. व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षार्थियों को भारमुक्त किया जाकर संबंधित जिला कलेक्टर को सूची उपलब्ध करायी जायगी तथा जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त इन्हें तहसील आवंटित की जाएगी. संबंधित तहसील में उपस्थित होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अनुभवी पटवारी के साथ हल्के पर संलग्न किया जाएगा तद्उपरान्त नियत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें कार्य आवंटित किया जाएगा तथा प्रशिक्षणार्थी पटवारी द्वारा प्रशिक्षण देने वाले राजस्व निरीक्षण/अनुभवी पटवारी के मार्गदर्शन में असाइनमेंट फाईल तैयार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के यहां जमा की जाएगी. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस फाईल का मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाएंगे. प्राप्तांकों की सूचना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीक्षक, भू-अभिलेख के माध्यम से संबंधित प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र को प्रेषित की जाएगी. प्रयोगिक प्रशिक्षण के मूल्यांकन के मामले में अनुविभागीय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

5 **परीक्षा.**—प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित होने वाली परीक्षा का विवरण अनुसूची 4 के अनुसार होगा.

इस परीक्षा हेतु प्रश्नपत्र तैयार करवाना, मूल्यांकन करवाना एवं परीक्षा हेतु किसी संस्था विशेष का निर्धारण किया जाना ये सभी कार्य आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा संपादित किए जाएंगे.

6. **परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता.**—प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्नलिखित दो अनिवार्यताएं होगी—

(1) ऐसे प्रशिक्षणार्थी को, जो प्रशिक्षण अवधि के कार्य दिवस की कुल संख्या के 75 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो, परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. तथापि यदि जिला कलेक्टर की इस बात से समाधान हो जाए कि प्रशिक्षणार्थी जान-बूझकर अनुपस्थित नहीं रहा था अथवा वह उसके नियंत्रण से परे होने वाले कारणों से अनुपस्थित रहा था, तो वह प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकेगा. परन्तु यह तब जब कि उपस्थिति कार्य-दिवसों की कुल संख्या के 65 प्रतिशत से कम न हो. उपस्थित की गणना में पूर्णांक के बाद दशमलव में कोई संख्या आती है तो उसे अगला पूर्णांक मानकर गणना की जाएगी.

(2) जिन प्रशिक्षणार्थियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होकर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो एवं असाइन्मेंट फाईल मूल्यांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न की हो.

उक्त दोनों शर्तों की पूर्ति पृथक्-पृथक् होना अनिवार्य है इसमें नियमों में दिये गये किसी प्रावधान के अलावा किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जावेगी.

इस नियम के अधीन पात्र प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का प्राचार्य सक्षम होगा.

7. **प्रशिक्षक.**—प्रशिक्षण केन्द्रों पर अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षकों की व्यवस्था आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा की जाएगी. प्रशिक्षकों के रूप में सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के अलावा अन्य संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी.

8. **प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम.**—प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा कराया जाएगा. सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण विषयों के मध्य अंकों का अनुपात 70:30 प्रतिशत रहेगा. न्यूनतम अर्हउत्तीर्णांक दोनों परीक्षाओं में पृथक्-पृथक् तथा सम्मिलित रूप से 50 प्रतिशत अंक सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्राप्तांक रहेंगे.

9. **परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम अवसर.**—अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को केवल 03 अवसर दिये जाएंगे. दिये गए 03 अवसरों में भी अनुत्तीर्ण होने पर सेवा से पृथक् कर दिया जाएगा.

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

अनुसूची-1 प्रशिक्षण अवधि

क्रमांक (1)	गतिविधि (2)	समयावधि (3)
1	सैद्धांतिक प्रशिक्षण	04 माह
2	व्यावहारिक प्रशिक्षण	02 माह
3	परीक्षा	उपरोक्त अवधि के भीतर

अनुसूची-2 सैद्धांतिक प्रशिक्षण के विषय

क्रमांक (1)	विषय (2)	पाठ्यक्रम (3)
1	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं अन्य नियम व अधिनियम.	(i) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता

(1)	(2)	(3)	(4)
		(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता (iv) आवश्यक वस्तु अधिनियम (v) भू-अर्जन अधिनियम (vi) पंचायत राज अधिनियम (vii) न. पा. अधिनियम (viii) वन संरक्षण अधिनियम (ix) भारतीय स्टॉम्प अधिनियम (x) वन अधिनियम उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत पटवारियों के कर्तव्यों से जुड़े हुए प्रावधान.	
2	भू-अभिलेख एवं उससे संबंधित नियम	सर्वे, सीमांकन, प्रबंधन संबंधी साफ्टवेयर एवं GIS के सिद्धांत	
3	कम्प्यूटर व्यावहारिक एवं हिन्दी टायपिंग	1. भू-अभिलेख प्रबंधन संबंधी साफ्टवेयर 2. RCMS, राजस्व न्यायालय प्रकरण संबंधित साफ्टवेयर 3. ई-फसल गिरदावरी एवं अन्य राजस्व विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सांफ्टवेयर. 4. हिन्दी टायपिंग	
4	पटवारी के कर्तव्यों से जुड़े अन्य विभागों से संबंधित विषय.	कृषि एवं कृषि सांख्यिकी से फसल गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोगों की विधि व प्रक्रिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. राजस्व पुस्तक परिपत्र (4)6के प्रावधान व नियमों का ज्ञान कराया जाना. पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरपालिका अधिनियम के पटवारी के कर्तव्यों से जुड़े प्रावधान. स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर गाईड लाईन तैयार किया जाना आदि प्रावधान.	

अनुसूची-3 प्रायोगिक प्रशिक्षण के विषय

क्रमांक (1)	गतिविधि (2)	विवरण (3)	संख्या (4)
1	नामांतरण प्रकरण	प्रकरणों में प्रतिवेदन पेश करना	05 प्रकरण
2	बटवारा	प्रकरणों में बटवारा फर्द प्रस्तुत करना	05 प्रकरण
3	सीमांकन	सीमांकरण प्रकरणों में 05 मशीन सीमांकन एस.टी.ई. बुक सहित/करना फील्ड	05 प्रकरण
4	फसल कटाई प्रयोग	प्रयोग करना	प्रयोग
5	बी.एल.पी.	प्रकरणों में प्रतिवेदन देना	10 प्रकरण
6	जाति प्रमाण पत्र	प्रकरणों में प्रतिवेदन देना	10 प्रकरण

(1)	(2)	(3)	(4)
7	शोध क्षमता प्रमाण-पत्र	प्रकरण में प्रतिवेदन देना	10 प्रकरण
8	नक्शा बटांकन	प्रकरणों में अमल कर बटांकन करना	10 प्रकरण
9	फसल गिरदावरी	ग्राम की मोबाईल ऐप से गिरदावरी करना	01 ग्राम
10	वेब जी.एस.आई. डेटा सुधार.	ग्राम के 01 वेब डाटा का सुधार करना	01 ग्राम

अनुसूची-4 प्रश्न पत्र

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	पूर्णांक (3)	समयावधि (4)
1	म संहिता एवं राजस्व भू प्र. अधिनियम व नियम अन्य	100	3.00 घण्टे
2	भू-अभिलेख एवं उससे संबंधित नियम	100	3.00 घण्टे
3	कम्प्यूटर व्यावहारिक एवं हिन्दी टायपिंग	50	2.00 घण्टे
4	पटवारी के कर्तव्यों से जुड़े अन्य विभागों से संबंधित विषय	100	3.00 घण्टे
5	प्रायोगिक प्रशिक्षण	150	02 माह

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2018

क्र. 1040-2084-2014-छै.—विभागीय आदेश क्र. एफ 7-2-2012-छै: मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2-2012-छै:, दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम 2012 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम 2012 के परिशिष्ट (एक) में वर्णित तीर्थ स्थानों की सूची में निम्नानुसार तीर्थ स्थान का नाम जोड़ा जाता है:—

17 (अ). श्री रामदेवरा, जैसलमेर (राजस्थान).

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2-2012-छै:, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष भार्गव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.